Government of Haryana/हरियाणा सरकार

Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

आबादी के नजदीक स्थित भटठों के बारे नयी नीति का प्रारूप

विशेष सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग।

आदेश

यह कि सरकार के संज्ञान में समय-समय पर आई शिकायतों तथा कोर्ट केसों(जनहित याचिका) के माध्यम से यह तथ्य आये कि आबादी के नजदीक बहुत सी संख्या में भट्ठे चल रहे हैं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने सी0डब्लयू0पी0 1363 आफ 2007 मैसर्ज आरती ब्रिक्स कंपनी, गांव खरवान जिला यमुनानगर बनाम हरियाणा सरकार तथा सी0एम0 नम्बर 4643 व आर0ए0 75 आफ 2010 सी0डब्लयू0पी0 12838 आफ 2006 बलदेव सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व ईश्वर ब्रिक्स यमुनानगर के केसों में पारित आदेशों क्रमश: दिनांक 19.05.2009 व 02.03.2012 को ध्यान में रखकर हरियाणा सरकार ने आबादी से 500 मीटर के दायरें में स्थित भटठों को बंद करने बारे एक नीति पत्र क्रमांक 2बी.के.-7/9/2012/20030 दिनांक 05.07.2013 जारी की गई जिसमें मुख्य तौर से निम्न प्रावधान था:-

In view of the orders of the Hon'ble High Court, the matter was examined and the State Government has decided that brick kilns operating in the vicinity of 500 meters from *abadi* may be closed down in a phased manner as mentioned below:-

(i) In the first phase, Brick Kilns operating in vicinity of *abadi* upto 300 meters will be closed within a year from the date of issue of this Policy.

(ii) In the second phase, those Brick Kilns running in vicinity of *abadi* more than 300 meters & upto 500 meters will be closed within 2 years from the date of issue of this Policy.

यह कि आबादी के नजदीक स्थित भटठों को बंद करने बारे उपरोक्त नीति दिनांक 05.07.2013 की प्रति माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विभाग ने सी0ओ0सी0पी0 905 आफ 2013 इन सी0डब्लयू0पी0 12838 आफ 2006 टाईटल्ड एज बलदेव सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार के केस में हलफनामे के साथ प्रस्तुत की।

यह कि इसी दौरान हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन आनॅर ऐसोसिएशन ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 12.05.2014 द्वारा सरकार से मांग की कि आबादी से 500 मीटर के दायरे में आने वाले भटठे यदि ऐसी कोई नवीनतम तकनीक जैसे High Draft Technology/Zig Zag Brick Kiln अपना लें जिससे प्रदूषण (SPM) की मात्रा इतनी कम हो जाए जिसका आबादी पर कोई कूप्रभाव न पडे तथा ऐसी तकनीक को भटठों में बदलवाने पर इन भटठों को चलने दिया जाये व नयी तकनीक बदलवाने के लिये समय प्रदान किया जाये।

यह कि हरियाणा सरकार ने दिनांक 23.05.2014 की बैठक में निर्णय लिया कि पर्यावरण विभाग राज्य में पहले से लगे हुये High Draft Technology/Zig Zag जैसी उच्च तकनीक के भटठों का किसी अग्रिम/विश्वसनीय संस्था से अध्ययन—

— 1/4

करवाके रिपोर्ट प्रस्तुत करे तथा सरकार ने मामले में प्रधान सचिव खाद्य एवं पूर्ति, प्रधान सचिव पर्यावरण विभाग तथा महानिदेशक/निदेशक खाद्य एवं पूर्ति की एक कमेटी गठित की जोकि High Draft Technology/Zig Zag तकनीक के भटठों की अध्ययन रिपोर्ट का अवलोकन/निरीक्षण करने के उपरांत अपनी टिप्पणी सहित प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत करेगी ताकि तदानुसार आबादी के नजदीक स्थित भटठों की नीति दिनांक 05.07.2013 में बदलाव/संसोधन/यथावत रखने बारे कोई निर्णय लिया जा सके।

यह कि माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय ने उक्त सी0ओ0सी0पी0 को खारिज करते हुये दिनांक 28.10.2014 द्वारा निम्न आदेश पारित किये:-

"Counsel for the petitioner, after arguing for sometime, prays for withdrawal of the present contempt petition with liberty to challenge the policy dated 05.07.2013(Annexure R-1) and the subsequent orders/policies passed/framed by the Government of Haryana relating to closure of brick-kilns near abadi.

Contempt Petition is disposed of as withdrawn with liberty as prayed for.

Rule discharged."

यह कि हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने Zig Zag तकनीक के भटठों का Pollution Control Research Institute(PCRI), Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL), Ranipur, Haridwar, Uttrakhand से अध्ययन करवाके अपने पत्र कमांक HSPCB/2015/2712 दिनांक 03.08.2015 द्वारा अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

यह कि इस मामले में गठित कमेटी जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एवं पूर्ति, प्रधान सचिव पर्यावरण, महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति की बैठक दिनांक 10.08.2015 में Pollution Control Research Institute(PCRI), Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL), Ranipur, Haridwar, Uttrakhand की उक्त अध्ययन रिपोर्ट पर विचार विमर्श के उपरांत सरकार ने जनहित में आम जन के स्वास्थ्य के प्रति कोई भी जोखिम न लेते हुये Zig Zag तकनीक के भटठों से आबादी की कितनी दूरी को सुरक्षित माना जाये, के लिये एक अन्य अध्ययन करवाने हेतु PCRI, BHEL, Haridwar से पत्र कमांक 2BK-5/125/2015/33034-35 दिनांक 27.11.2015 द्वारा अनुबंध किया।

यह कि हरियाणा भटठा ऑनर ऐशोसिएशन ने अनुरोध किया कि Zig Zag Technique के भटठों की नयी अध्ययन रिपोर्ट के आने तथा उसके आधार पर जब तक सरकार आबादी के नजदीक स्थित भटठों की नीति दिनांक 05.07.2013 में कोई संशोधन या अन्य कोई दिशानिर्देश जारी नहीं करती तब तक आबादी की नीति दिनांक 05.07.2013 से प्रभावित सभी भटठों को चलने दिया जाये क्योंकि यदि एक बार भटठा बंद कर दिया जाये तो उसको पुनः शुरू करना बहुत मुशकिल है जिसमें तरह-2 की कई कठिनाईयां आती है इसलिये इन भटठों को बंद न किया जाये व सरकार के जैसे भी दिशानिर्देश होंगे वह उसकी पालना करने के लिये बाध्य होंगे व यदि अनुमति प्राप्त होती है तो अपने पुराने तकनीक के भटठों में Zig Zag Technique स्थापित करके भटठा चला सकते है।

राज्य सरकार ने आबादी के नजदीक स्थित भटठों की नीति दिनांक 05.07.2013 जिसमें आबादी से 500 मीटर के दायरे में स्थित भटठों को 04.07.2015 -

-2/4

तक चलने की अनुमति प्रदान की गई थी, में संशोधन करते हुये पत्र कमांक 2बी0के0-4/95/2015/200-203 दिनांक 05.01.2016 द्वारा आबादी से 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी भटठों को दिनांक 31.03.2017 या उक्त नीति दिनांक 05.07.2013 में बदलाव/अन्य दिशानिर्देश के आदेश जो भी पहले हो, तक इस सशर्त पर चलने की अनुमति प्रदान की।

Bharat Heavy Electricals Limited(BHEL), PCRI, Haridwar ने Zig Zag तकनीक के भटठों की अपनी दूसरी अध्ययन रिपोर्ट दिनांक 05.09.2016 प्रस्तुत की जिसमें निम्न निष्कर्ष दिया गया है:-

1. Ambient air quality around selected brick kilns had been carried out to assess background ambient air characteristic of surrounding area. The value of SPM, Nox and SO2 was found in the range of 72-393, 4-13 and 5-9 mg/m3, respectively. The values of gaseous pollutant were found well below the prescribed limits.
2. The prominent wind direction in the region during study period was found to be from NW to SE.
3. The stack emission monitoring were also carried out at selected brick kiln and the value of SPM, Nox, and SO2 was found in the range of 78-141, 9.4-26.4 and 246.4-280.1 mg/Nm3, respectively.
4. Air dispersion modeling was also carried out for emissions generated from brick kiln stacks. The maximum GLC concentration of SPM, SO2 and NOx obtained usingg the ISCT3 model were found to be at the distance of 500 m in the South East direction from the brick kiln.
5. The values of incremental SPM, Sox and NOx obtained through air pollution modeling were found insignificant of existing values in the area and are well below the National Ambient Air Quality Standards(NAAQS), November 2009.
6. The final values offer addition of incremental of SOx and NOx will be within the permissible limit of NAAQS 2009.
7. It is seen from air dispersion modeling that maximum increment has been observed in the value of SO2 i.e. 18.15 mg/m3 at a distance of 500 meter. This value reduces to 4.03 mg/m3 at a distance of 1100 meter and 2.02 mg/m3 at a distance of 1500 meter.

यह कि BHEL, PCRI द्वारा की गई Zig Zag तकनीक के भटठों की अध्ययन रिपोर्टो पर बैठक दिनांक 17.10.2016 में विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि **आबादी के नजदीक स्थित भटठों को बंद करने बारे नीति दिनांक 05.07.2013 को निरस्त करके उसके स्थान पर नयी नीति जारी की जाये तथा नीति जारी करने से पूर्व सभी स्टैक होल्डरों से नीति के प्रारूप पर उनके सुझाव/टिप्पणी प्राप्त की जाये।**

सरकार के उक्त आदेशों के अनुसार आबादी के नजदीक स्थित भटठों के बारे नयी नीति का प्रारूप निम्न प्रकार से है:-

(i) **आबादी के 500 मीटर के दायरे में स्थित पुराने भटठे जो अपनी इच्छा से अपने भटठे में Zig Zag तकनीक अपने खर्चे पर लगवाने के लिये तैयार है, को इस नीति के जारी होने के अधिकतम एक महीने के अंदर इस बारे अपना हलफनामा संबंधित जिलाधीश या जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक को शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। संबंधित जिला नियंत्रक ऐसे भटठा प्रार्थी के आवेदन/शपथ पत्र को जिलाधीश(लाईसैंसिंग अथोर्टी)—**

— 3/4

की अनुमति के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा।

(ii) ऐसा भटठा मालिक/भटठा प्रार्थी जो **Zig Zag** तकनीक लगवाने के लिये अपना हलफनामा व आवेदन प्रस्तुत करेंगे, उनको नयी तकनीक लगवाने के लिये अधिकतम दो वर्ष का समय प्रदान किया जायेगा परन्तु वह पुरानी तकनीक के साथ दिनांक 31.03.2017 के बाद भटठा नहीं चलायेंगे।

(iii) भटठा प्रार्थी जो **Zig Zag** तकनीक लगवाना चाहता है वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इसका सहमति पत्र **(Consent fo Establish)** प्राप्त करके नयी तकनीक लगवाये तथा नयी तकनीक लगवाने के उपरांत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रमाण पत्र/भटठा चलाने के लिये सहमति पत्र **(No Objection Certificate/Consent to operate)** प्रस्तुत करने के बाद ही ऐसे भटठे का लाईसैंस नवीकरण किया जायेगा।

(iv) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कंसैंट/गाईडलाईन के अनुसार ऐसे भटठा यूनिटों को जो नयी तकनीक **(Zig Zag)** लगवायेंगे, को अपने खर्चे पर 100 फुट से अधिक ऊंचाई की चिमनी भी बनानी होगी तथा **High Draught Fan** चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन या इसके लिये अन्य कोई उचित व्यवस्था भटठे पर करनी होगी।

(v) आबादी के 500 मीटर के दायरे में स्थित ईट भटठे जो **Zig Zag** तकनीक लगवाने के लिये तैयार नहीं होंगें, ऐसे भटठों का लाईसैंस दिनांक 31.03.2017 के बाद नवीकरण नही किया जायेगा तथा उनको दिनांक 31.03.2017 के बाद भटठा चलाने पर पूर्णतया पाबंदी लगा दी जायेगी।

(vi) पुरानी तकनीक के भटठों में नयी तकनीक लगवाने का पूर्ण खर्चा भटठा मालिक/चालक स्वयं वहन करेगा।

(vii) भटठा मालिक/प्रार्थी को भारत सरकार/हरियाणा सरकार व संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी।

21/12

उप-निदेशक (ब्रिक किलन),
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा।

Government of Haryana/हरियाणा सरकार

Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय

सेवा में,

1. महाधिवक्ता, हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ।
2. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग।
3. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, छठी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, हरियाणा, चण्डीगढ
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, कमरा न0 529, पांचवी मंजिल, नया सचिवालय, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
5. महानिदेशक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग, एस.सी.ओ. 71-75, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
6. चैयरमेन, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी-11, सैक्टर-6, पंचकुला।
7. निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, पंचायत भवन, प्लाट 3/सैक्टर 28A चण्डीगढ।
8. निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, 30 बेज बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, सैक्टर-17, चण्डीगढ।
9. पी0सी0सी0एफ0, वन विभाग, सी-11, वन भवन/6, पंचकूला।
10. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, सैक्टर-21, पंचकूला।
11. महानिदेशक, बागवानी विभाग, सेरीकल्चर काम्पलैक्स, सैक्टर-21, पंचकूला।
12. राज्य के सभी जिलाधीश(भटठा लाईसैसिंग अथोर्टी)/जिला उपायुक्त।
13. राज्य के सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक।
14. राज्य के सभी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी।
15. राज्य के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी(बी0डी0पी0ओ0)।
16. राज्य के सभी ग्राम सचिव को खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से।
17. श्री लाल सिंह, प्रधान हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन आनॅर ऐशोसिएशन, मकान नं0 145, सैक्टर-14, सोनीपत।
18. राज्य के सभी जिला भटठा ऑनर ऐशोसिएशन को जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों के माध्यम से।

यादि क्रमांक-2बी.के.5/125/2015/27596 दिनांक 29-12-2016

विषयः- **राज्य में आबादी के नजदीक स्थित ईट भटठों के बारे नयी नीति जारी करने हेतु इसके बारे ग्राम पंचायतों सहित सभी संबंधित पक्षों से उनकी प्रतिक्रिया/सुझाव प्राप्त करने बारे।**

उपरोक्त विषय खाद्य एवं पूर्ति विभाग के पत्र यादि क्रमांक-2बी.के. 5/125/2015/20337-38 दिनांक 26.09.2016 के संदर्भ में।

सरकार ने आबादी के नजदीक स्थित भटठों को बंद करने के बारे एक नीति पत्र क्रमांक 2बी.के.7/9/2012/20030-33 दिनांक 05.07.2013 जारी की हुई है-

जिसके अनुसार आबादी से 500 मीटर के दायरे में स्थित भटठों को बंद किया जाना था। हरियाणा भटठा ऑनर ऐशोसिएशन के अनुरोध पर Bhart Heavy Electricals Limited(BHEL), Haridwar से Zig Zag तकनीक के भटठों का अध्ययन करवाके उक्त अध्ययन रिपोर्ट पर मामले के संबंधित विभागों के साथ दिनांक 17.10.2016 को बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर सरकार ने जनहित में निर्णय लिया कि आबादी के नजदीक स्थित भटठे जो पुरानी तकनीक के स्थान पर Zig Zag तकनीक लगवाने के लिये तैयार हैं उन भटठों को चलने दिया जाये इसलिये नीति दिनांक 05.07.2013 को निरस्त करके उसके स्थान पर नयी नीति जारी की जाये। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे निम्न आदेश अंकित किये हैं:-

> **"CM has decided that draft policy be uploaded on the website and shared with all stackholders including Gram Panchayats of villages at Flag A and suggestion/comments of the public be sought. File may be resubmitted after examination of all suggestion."**

आबादी के नजदीक स्थित भटठे की नयी नीति के प्रारूप खाद्य एवं पूर्ति विभाग की वेबसाईट Haryanafood.gov.in पर भी अपलोड कर दी गई है।

अत: आपसे विनम्र अनुरोध है कि नयी नीति के प्रारूप पर अपनी सुझाव/टिप्पणी 20 दिन के अंदर-अंदर इस विभाग के ई-मेल foodbrick@gmail.com या डाक के माध्यम से निदेशालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, दूसरी मंजिल, 30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर-17-बी, चण्डीगढ के पते पर भेजना सुनिश्चित करें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जानी संभव हो सके।

उप-निदेशक(ब्रिक किलन),
कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
हरियाणा।

पृ0 कमांक-2बी.के.5/125/2015/27597 दिनांक: 29-12-2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है:-

1-प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा (माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की सूचना के लिए)

2-वरिष्ठ सचिव/खाद्य मंत्री हरियाणा सरकार (माननीय खाद्य मन्त्री महोदय की सूचना के लिए)

3-निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, खाद्य एंव पूर्ति (अतिरिक्त मुख्य सचिव खाद्य महोदय की सूचना के लिए)

4-निजी सचिव/निदेशक खाद्य महोदय (निदेशक खाद्य महोदय की सूचना के लिए)

उप-निदेशक(ब्रिक किलन),
कृते: निदेशक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
हरियाणा।